

विचार बिन्दु

दोष निकालना सुगम है, उसे अच्छा करना कठिन। -प्लूटार्क

नीति आयोग की नई रिपोर्ट
चेतावनी व अवसर दोनों

नीति आयोग ने 'भारत में अनुसंधान एवं विकास की सुगमता' पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने देश में अनुसंधान एवं विकास के इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करते हुए गहरी संरचनात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर किया है तथा नवाचार-आधारित विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने भले ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए 38वां स्थान हासिल कर लिया हो, लेकिन अनुसंधान एवं विकास पर देश का सकल घरेलू उत्पाद के 0.64 से 0.65 प्रतिशत के बीच स्थिर बना हुआ है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट केवल बजट की कमी की पुरानी शिकायत नहीं दोहराती, बल्कि पहली बार उच्च प्रशासनिक और नियामक बाधाओं को रेखांकित करती है, जो सीधे तौर पर देश में अनुसंधान का माहौल बना देने का मुख्य कारण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए उसमें पारंपरिक अर्थशास्त्रियों के स्थान पर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को भी शामिल किया था। ऐसा करके संकेत दिया गया था कि शासन अर्थशास्त्रिक नीतियों को लेकर गंभीर है। इसी बदलाव का नतीजा है यह ईमानदार रिपोर्ट है, जिसकी सबसे व्यावहारिक और साहसिक अंतर्दृष्टि यह है कि उसने अनुसंधान एवं विकास संकट के लिये प्रमुख रूप से प्रशासनिक जटिलताओं को स्वीकार किया है। भारत में प्रति दस लाख आबादी पर पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या केवल 262 है, जबकि अमेरिका में यह 4,821 और चीन में 1,585 है। इस प्रकार भारत में युवा प्रतिभाओं का विशाल भंडार होने के बावजूद, शोधकर्ताओं का कुल घनत्व कम बना हुआ है। यह अंतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे मानव संसाधन की गंभीर कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अनुसंधान का यह संकट राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में और भी अधिक गहरा है। केंद्रीय संस्थानों की तुलना में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के पास न तो आधुनिक बुनियादी ढांचा है और न ही पर्याप्त बजटीय आवंटन। राज्य स्तर के शिक्षकों का अधिकांश समय शैक्षणिक कार्यों और प्रशासनिक नियमों के अनुपालन में ही लग जाता है, जिससे उनके पास नवाचार के लिए समय ही नहीं बचता। उच्च शिक्षा का पोस्ट-डॉक्टोरल तंत्र अविकसित है, जिससे अनुसंधान की निरंतरता और गहराई पर असर पड़ता है। फेलोशिप के वितरण में देरी, भर्ती की कठोर प्रक्रियाएं, और सार्वजनिक संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली पर अनुसंधान की नौव को और भी कमजोर करते हैं।

यह रिपोर्ट सही ढंगत करती है कि भारत के अनुसंधान और विकास परिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी इसका सरकार पर अत्यधिक निर्भर होना है। वैश्विक स्तर पर जहां विकसित और शीघ्र नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास बजट का 6.0 से 7.0 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, वहीं भारत में इसका उल्टा है। भारत में अनुसंधान व्यय का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र से आता है। जब सार्वजनिक से पैसा आता हो तब साथ में सरकारी तौर तरीके आएं होंगे। रिपोर्ट रेखांकित करती है कि भारतीय वैज्ञानिकों की असफलता उनकी प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमजोरी तथा लालफीताशाही है। रिपोर्ट वे प्रमुख प्रशासनिक रोड़े भी गिनाती है जिन पर सरकार आम तौर पर आंख मूंद रहती है। सरकारी व्यवस्था में जब अनुदान स्वीकृतियां मिलने का प्रतिशत दस से भी कम हो, तब शोधकर्ताओं में उत्साह का माहौल होने की कैसे आशा की जा सकती है। इसके अलावा स्वीकृत परियोजनाओं को भी राशि जारी होने में महीनों लग जाते हैं। केंद्रीयकृत ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मॉडल और वित्तीय वर्ष के अंत में लागू यूज इट या लूज इट (बजट का उपयोग न होने पर लैप्स होना) की नीति वैज्ञानिक निरंतरता को बाधित करती है। भारत में अनुसंधान के मामले में निजी निवेश क्यों कम है इस पर भी नीति आयोग की रिपोर्ट खुल कर बात करती है। यह कहती है कि देश में निजी निवेश की इस कमी के पीछे सरकारी की जटिल कर नीतियां, पेटेंट व्यावसायिकरण के लिए प्रोत्साहन का अभाव और अकादमिक संस्थानों के साथ कमजोर संबंध मुख्य वजह हैं। और यह तंत्र उच्च-गुणवत्ता वाली मानव पूंजी को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने में मुश्किलों से झुंझता है। मानव संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जो किसी भी अनुसंधान तंत्र की रीढ़ होती हैं। साथ ही, अनुसंधान एवं विकास में करियर के रास्ते अनिश्चित हैं और वे अक्सर कम आकर्षक बने हुए हैं-विशेष रूप से निजी क्षेत्र और उपरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। जब काम के अवसर कम होंगे तब अनुसंधान की उत्पादकता की बात ही बेमानी हो जाती है। अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में करियर बनाने तथा उससे दीर्घकालिक जुड़ाव को बढ़ावा देने का कोई भयल नहीं नजर आता है। सरकारी क्षेत्र पर निर्भरता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाएं अक्सर अत्यधिक केंद्रीकृत होती हैं, जिनमें ज्यादातर निर्णय लेने की शक्तियां का हस्तांतरण सीमित होता है, जिससे नियमित कार्य धीमे हो जाते हैं और संस्थागत कार्यकुशलता कम हो जाती है। व्यापक स्तर पर नेटवर्क की जवाबदेही नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ अनुसंधान क्षेत्रों की रणनीतिक प्राथमिकता और संस्थागत प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के समय-समय पर स्व-मूल्यांकन पर बहुत कम जोर दिया जाता है। इससे ठोस नवाचारों की क्षमता और भी सीमित हो जाती है। मानकीकृत दिशानिर्देशों और स्पष्ट संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण अनुमोदन, खरीद और परियोजना प्रबंधन में विसंगतियां खड़ी होती हैं और देरी होती है।

इस परिदोष को तोड़ने के लिए नीति आयोग ने एक व्यापक पांच सूत्रीय ढांचा पेश किया है, जिसका आशय अनुसंधान करने में आसानी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उसे मदद देने वाले कारकों को बढ़ावा देना। नीति आयोग ने भारत को स्टार्टअप देश और नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक सफलताओं का अनुकरण करने की सलाह दी है। जैसे दक्षिण कोरिया का मॉडल जिसके कारण आज वहां का निजी क्षेत्र कुल अनुसंधान व्यय में 80 प्रतिशत का योगदान देता है। इजराइल सरकार ने उच्च-तकनीकी स्टार्टअप में निजी उद्यम पूंजीपतियों (वैंगर केपिटललिस्ट्स) के साथ मिलकर सह-निवेश किया, जिसने देश के शुरुआती चरण के फंडिंग संकट को दूर करने में मदद की। अमेरिका की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता, लचीली नियुक्तियों और परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों के साथ काम करती है, जो नौकरशाही से मुक्त है। नीति आयोग की राय है कि भारत को भी अपने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रदर्शन और विज्ञान मंत्रालयों के भीतर इसी तरह की मिशन-मोड और लचीली संरचनाओं को अपनाना चाहिए कई संस्थाओं में, समर्पित और विशेष रूप से प्रबंधित संस्थागत संरचनाएं और आंतरिक प्रक्रियाएं भी चिंता के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरती हैं। परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रणालियां परेशान करने वाली बन जाती हैं, जिससे शोधकर्ताओं पर गैर-वैज्ञानिक कार्यों का काफी बोझ पड़ जाता है। मानकीकृत दिशानिर्देशों और स्पष्ट संचालन प्रक्रियाओं की कमी के कारण अनुमोदन, खरीद और परियोजना प्रबंधन में विसंगतियां और देरी होती है। ज्ञान के सृजन और उसे उत्पादों और तकनीकों में बदलने के बीच का अंतर भी एक और बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां भारत प्रकाशनों और पेटेंट के मामले में मजबूत स्थिति में है, वहीं इन परिणामों को व्यावसायिक रूप से सफल समाधानों में बदलने का काम अपेक्षाकृत कमजोर बना हुआ है। इस स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें अप्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र, बैंकिंग संपदा प्रबंधन में स्पष्टता की कमी, और प्रोटोटाइपिंग तथा सत्यापन के बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच शामिल है। वित्तीय और नीतिगत बाधाओं में वित्तपोषण की सीमित उपलब्धता और हतोत्साहित करने वाले कराना जैसे कारक शामिल हैं, जो अनुसंधान के व्यावसायिकरण को और भी बाधित करती हैं। परिणामस्वरूप, अनुसंधान परिणामों का एक बड़ा हिस्सा प्रयोगशाला चरण से आगे नहीं बढ़ पाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट ज्ञान और अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच को एक बड़ी बाधा मानती है, विशेष रूप से शीघ्र श्रेणी से उत्तर संस्थानों के लिए।

रिपोर्ट कहती है कि जहां प्रमुख संस्थानों के पास वैज्ञानिक डेटाबेस, पत्रिकाओं और उन्नत बुनियादी ढांचे तक अपेक्षाकृत बेहतर पहुंच हो सकती है, वहीं बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों-विशेषकर राज्य स्तर पर या निजी क्षेत्र के संस्थानों-को इन आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सदस्यता की उच्च लागत, साझा बुनियादी ढांचे की सीमित उपलब्धता, और पहुंच के कमजोर तंत्र संस्थानों के बीच अनुसंधान क्षमताओं में असमानताएं पैदा करते हैं। देश के रिसर्च बेस को बढ़ाने में राज्य संस्थानों की अग्रभूमिका को रेखांकित करते हुए यह रिपोर्ट उनकी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह देती है, जिससे प्रक्रियागत बाधाएं दूर हों तथा रिसर्च तथा नवाचार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सके। इस रिपोर्ट में बताई गई ढांचागत और व्यावसायिक रणनीतियों को दूर करके, भारत अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, ज्ञान को असरदार नतीजों में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। यह रिपोर्ट भारतीय विज्ञान जगत के लिए एक समयोचित चेतावनी और अवसर दोनों है। देश को नियंत्रण और अनुपालन की औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालकर जब तक हम अपने वैज्ञानिकों को वित्तीय फाइलों और ऑडिटिंग के मकड़जाल से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा वैश्विक नेतृत्व का सपना अधूरा ही रहेगा। इस रिपोर्ट को बिना किसी देरी के लागू करना भारत की वैज्ञानिक संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा,
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

पैगम्बर साहब, इस्लाम, खलीफाओं और खिलाफत संस्था से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारियां समझें



महावीर सिंह

शुरुआत करें इस सवाल से कि क्या पैगम्बर कभी येरुशलम गए थे? क्या रिश्ता है इस्लाम और येरुशलम का? पैगम्बर मुहम्मद अपने जीवनकाल में कभी भीतिक रूप से मक्का से लगभग 1200 किलोमीटर दूर येरुशलम नहीं गए थे। इस्लामी मान्यता के अनुसार, ई 621 के आसपास अर्थात् 632 ई में उनकी वफात के लगभग 11 वर्ष पहले, उन्होंने एक रात, अलबुरक नामक एक चमत्कारी वाहन में मक्का से येरुशलम की अल अक्सा तक की चमत्कारी आध्यात्मिक यात्रा की थी। इस्लाम में इस यात्रा को इश्रा कहा जाता है। येरुशलम मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। वहीं से पैगम्बर साहब स्वर्गावरोह (मेराज) पर गए और अल्लाह से निर्देश प्राप्त किए।

इस्लाम में मेराज उस चमत्कारी और आध्यात्मिक घटना को कहा जाता है, जिसमें पैगंबर मुहम्मद को अल्लाह ने भौतिक और रूहानी रूप से सातों आसमानों जगत, जहनुम आदि की सैर कराई थी। पूर्व के सभी पैगंबरों के मुलाकात करवाई। खुद अल्लाह से संवाद किया। इसी अवसर पर अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज अता करना अनिवार्य हुआ। वापस आकर अल्लाह के संदेश लोगों को सुनाए। आम आदमी मोटे रूप से यह समझ सकता है कि इस यात्रा के पहले प्राप्त संदेशों और मेराज यात्रा अल्लाह से आमने सामने प्राप्त इन्हें संदेशों का समूह कुरान का सार है। इसी अलौकिक यात्रा के कारण येरुशलम इस्लाम में अत्यंत पूजनीय है। येरुशलम के पवित्र स्थल, जिसे हरम अल-शरीफ कहा जाता है, में दो प्रमुख संरचनाएं डोम ऑफ द रॉक (सोने के गुंबद वाली इमारत) और अल-अक्सा मस्जिद हैं। डोम ऑफ द रॉक उसी चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से पैगम्बर मुहम्मद के स्वर्ग यात्र पर जाने की मान्यता है। इस्लाम की शुरुआत में, पैगम्बर मुहम्मद और उनके अनुयायी नमाज अदा करते समय येरुशलम की दिशा की ओर मुख किया करते थे। बाद में, पैगम्बर को ईश्वर की ओर से मक्का की ओर मुख करने का निर्देश मिला।

पैगम्बर मुहम्मद के बाद, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत येरुशलम के पवित्र स्थल, जिसे हरम अल-शरीफ कहा जाता है, में दो प्रमुख संरचनाएं डोम ऑफ द रॉक (सोने के गुंबद वाली इमारत) और अल-अक्सा मस्जिद हैं। डोम ऑफ द रॉक उसी चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जहाँ से पैगम्बर मुहम्मद के स्वर्ग यात्र पर जाने की मान्यता है। इस्लाम की शुरुआत में, पैगम्बर मुहम्मद और उनके अनुयायी नमाज अदा करते समय येरुशलम की दिशा की ओर मुख किया करते थे। बाद में, पैगम्बर को ईश्वर की ओर से मक्का की ओर मुख करने का निर्देश मिला।

इस्लामी इतिहास में खलीफा की मुख्य शृंखला इस प्रकार रही:- राशिदून खलीफा अर्थात् वे खलीफा जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे सही मार्ग पर, अल्लाह के बताए मार्ग पर चलने वाले खलीफा थे। इनका अधिकतर विरादरी में से चयन किया गया। यह समय 632 में पैगम्बर साहब की वफात से शुरू होकर 661 ई. तक का है अर्थात् अत्यंत संक्षिप्त काल। हजरत अबू बक्र सिदीक पहले खलीफा के बाद हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली इब्न अबी तालिब चार राशिदून खलीफा हुए। इसके पश्चात् 661-750 के काल तक उमय्यद खलीफा हुए। 750 ई से 1258 ई तक बगदाद के अब्बासी खलीफा हुए। ये सबसे लंबे समय तक चले। 1258 में मंगोलों ने बगदाद को नष्ट कर दिया और आखिरी अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसिम को मार डाला। इसके बाद इजिप्ट मिस्त्र के मुमालिक हुए। 1250 में मिस्त्र में मुमालिक सुल्तानों ने अय्यूबी वंश को उखाड़ फेंका। मंगोलों द्वारा बगदाद विनाश के बाद, 1258 के बाद मुमालिकों ने काहिरा में अब्बासी खलीफाओं की एक नाममात्र शाखा को संरक्षण दिया। ये खलीफा सिर्फ प्रतीकात्मक थे, असली सत्ता मुमालिक सुल्तानों के पास थी। मुमालिक अब्बासी खलीफा 1517 तक चले, जब ओटोमन साम्राज्य ने मुमालिकों को हराया।

तुर्क के सुल्तान सेलिम प्रथम ने 1517 में मिस्त्र के ममलूक शासक जिनका राज्य सीरिया, हिजाज क्षेत्र और मिस्त्र में था पर विजय प्राप्त कर ओटोमन साम्राज्य कायम किया। काहिरा से अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुतविकिल को कैद करके कांस्टेंटिनोपल (इस्तांबुल) ले जाया गया। ममलूक सुल्तान (मिस्त्र, सीरिया, हिजाज) पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मक्का, मदीना और येरुशलम जैसे पवित्र स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। ओटोमन सुल्तान इस्लामी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। उन्होंने खुद को इस्लाम का संरक्षक और खलीफा (रसूल के उत्तराधिकारी) घोषित किया। इससे पहले 14वीं शताब्दी से ओटोमन सुल्तान कभी-कभी इस उपाधि का इस्तेमाल करते थे किंतु ओटोमन खिलाफत 1517 से 1924 तक चली (लगभग 407 वर्ष)। 1924 में मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने तुर्क गणराज्य स्थापित करने के बाद खिलाफत को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह खिलाफत मुख्य रूप से राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकार का प्रतीक थी, जिसने ओटोमन साम्राज्य को इस्लामी दुनिया का नेता बनाया। -महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

गौमाता सड़क पर क्यों? - कानून, आस्था और भूखे पेट का सच



मदन सिंह काला

बचपन में स्कूल की दीवार पर लिखा पढ़ा था, गाय हमारी माता है। घर में भी यही सुना। साथ ही भैंस के लिए घुना, भैंस रोड़ घुना और पाड़ो-भैंसा पड़ेला। माता की अवधारणा मन में बैठ गई। सालों बाद जब जिला कलेक्टर बना तो शहर की सड़कों पर वही माता कचरा खाती दिखी। भैंस, बकरी, भेड़ कहीं नहीं थी। सिर्फ गाय। तब पहली बार लगा कि श्रद्धा और सच्चाई के बीच कोई बड़ा फासला है। मैंने नगर परिषद की बैठक बुलाई। तब हुआ कि आबारा गाँव को 10 किलोमीटर दूर चारागाह में छोड़ा जाए, जहाँ घास और पानी दोनों थे। अभियान चला। शाम होने-होते गाँवों के मालिक उन्हें वापस घर ले गए। तब समझ आया कि गाय आबारा नहीं है। हमने निर्देश दिए कि हर गाय के गले में मालिक का नाम और मोबाइल नंबर वाला पट्टा हो। उस दिन नारा गड़ा, मालिक आबारा है न कि गाय।

गाँव में समस्या और विकट थी। किसान कहते, बछड़ी हुई तो पाल लेते, गाय बनेगी। बछड़ा हुआ तो क्या करें? न दूध देता है, न अन्न हल में जोते है। उल्टा फसल खा जाता है, सड़क पर मोत का कारण बनता है। इस सवाल ने पीछा नहीं छोड़ा। मैंने यथार्थ गीता पढ़ी। 5वें और 6वें अध्याय में कृष्ण गाय को उपयोगी पशु कहते हैं। 10वें में कहते हैं, गाँवों में मैं कामधेनु हूँ। पर कामधेनु हर गाय नहीं है। कामधेनु तो वह गाय है जो मेहनत से सब कुछ देती है। विज्ञान में यही सिखाया।

निनायक दामोदर सावरकर ने गाय को लेकर रूढ़िवादी मान्यताओं को सीधी चुनौती दी थी। सावरकर का साफ तर्क था कि मनुष्य गाय के लिए नहीं, गाय मनुष्य के लिए है। जब गाय दूध देना बंद कर दे, अनुपयोगी हो जाए, या मानव जीवन पर संकट आए तो उसके वध और गोमांस सेवन में कोई पाप नहीं है। मानते थे कि धर्म के नाम पर पशु को ईश्वर मानना और अंध भावना में बहना राष्ट्र के लिए आत्मघाती है। उनके शब्दों में, हिंदुओं ने गाय, मंदिर और ब्राह्मण जैसे प्रतीकों को बचाने के चक्कर में कई बार विदेशी आक्रमणकारियों के सामने अपना राज्य दांव पर लगा दिया।

इसलिए गाय की देखभाल परिवार के सदस्य जैसी हो, पर उसे पूजनीय मानना त्याज्य है। आज हर चौराहे पर एक सवाल खड़ा है - गाय हमारी माता है, तो मैं सड़क पर कचरा क्यों खा रही है? गाय के नाम पर कानून इतने सख्त कि मांस रखना भी जेल, लेकिन उसी गौमाता के नाम पर 1.93 करोड़ पशु बेसहारा, किसान की फसल बर्बाद और हाईवे पर हर दिन 8 लोगों की मौत। यह विधायाभास नहीं, हमारी नीति का आईना है।

पाठक की सुविधा के लिए उसे गौवंश से संबंधित कानूनी पृष्ठभूमि भी के तौर पर देखा आवश्यक है जिसके कारण गौवंश की स्थिति दयनीय बनी। भारत के 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में आज गाय, बैल, बछड़ा, नंदी का वध, बिक्री, परिवहन कानून अपराध है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में पूर्ण प्रतिबंध हैं। सजा 3 साल से लेकर 10 साल तक, जुर्माना 10,000 से 5 लाख तक। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 और गुजरात संशोधन 2017 कहते हैं कि गौवंश का वध तो छोड़ो, उसके मांस को फ्रिज में रखना भी गैर-जमानती अपराध है। 2017 में केंद्र के पशु बाजार नियम आए तो किसान को बूढ़ी गाय बिकनी बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नियम पर रोक लगाई, पर डर बना रहा। नतीजा यह हुआ कि कर्नाटक में चमड़ा निर्यात 2017 के 521 करोड़ से गिरकर 2021 में 166 करोड़ रह गया। कानपुर, कोलकाता और चेन्नई की 40 प्रतिशत टेनरी में ताला लग गया। कर्नाटक, असम, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु में सिर्फ गाय वध पर रोक है, बूढ़े बैल-भैंसे पर नहीं। केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में कोई प्रतिबंध नहीं। यानी देश एक, कानून अनेक। सिर्फ वध नहीं, मृत गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुपादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं। दूसरी समस्या खेत से रेश्यान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों पर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आबारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आबारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आबारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आबारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठे गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौत के पर खम हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुपादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं। दूसरी समस्या खेत से रेश्यान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों पर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आबारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आबारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आबारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आबारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठे गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौत के पर खम हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुपादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं। दूसरी समस्या खेत से रेश्यान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों पर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आबारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आबारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आबारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आबारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठे गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौत के पर खम हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुपादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं। दूसरी समस्या खेत से रेश्यान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों पर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आबारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आबारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आबारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आबारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठे गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौत के पर खम हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवंश हैं। उत्तर प्रदेश 12.01 लाख के साथ सबसे ऊपर है। राजस्थान 8.73 लाख, मध्य प्रदेश 9.46 लाख। अकेले राजस्थान में भारत के कुल अनुपादक मवेशियों का 25 प्रतिशत है। ये दूध नहीं देते, इन्हें हल में नहीं जोते, ये सिर्फ खाते हैं और सड़क पर बैठते हैं। दूसरी समस्या खेत से रेश्यान तक का सफर है। किसान और आम आदमी दोनों पर रहे हैं। नाबार्ड की रिपोर्ट 2022 बताती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर साल 5000 करोड़ की फसल आबारा पशु चर जाते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2018 का डेटा दिया कि सिर्फ एक साल में 185 से ज्यादा मौतें आबारा पशुओं से हुईं। उसके बाद सरकार ने डेटा देना ही बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आबारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में पूरे भारत में 2800 लोग सीधे आबारा पशुओं की टक्कर से मरे। एमपी के श्योपुर में 2024 में कार सड़क पर बैठे गाय को बचाने में पेड़ से टकराई और राजस्थान के 4 लोग मौत के पर खम हो गए, गाय भी मरी। भरतपुर में दो सांड लड़ते-लड़ते गौवंश का चमड़ा उतारना भी अब जोखिम है। परंपरागत चर्चकार कहते हैं कि गाय मरी तो पुलिस अर्न्ती है, चमड़ा उतार तो जेल। हमारे बीच क्या खाएँ? 25 लाख लोग इसी काम से जुड़े थे, जिनमें 90 प्रतिशत दलित-मुस्लिम। धंधा चौपट, तो हुनर भूखा।

कानून के बाद का सच हर घर तक पहुँच गया है। पहली समस्या 1.93 करोड़ बेसहारा गौवंश की है। ये आबारा नहीं, हमारे ही गोपालकों की गैर-जिम्मेदाराना मानसिकता का नतीजा है। 1966 तक बैल ही ट्रैक्टर था। 1951 में 8 करोड़ बैल हल जोते थे। फिर आया 80 लाख ट्रैक्टरों का जमाना। एक ट्रैक्टर पंद्रह बैल जोड़ी की ताकत रखता है। बैल पालना साल का 60,000 पड़ता है, ट्रैक्टर से जुताई 800 प्रति एकड़। किसान ने कैल्कुलेटर चलाया। यूरिया 266 की बोरी ने 5000 लेबर वाले 10 टन गोबर को हरा दिया। भैंस 18 लीटर दूध देती है, देसी गाय 2-3 लीटर। पहले मरने पर चमड़ा 2000 बिकता था, अब वो भी अपराध। नतीजा यह कि किसान बछड़ा और बूढ़ी गाय सड़क पर छोड़ देता है। 20वीं पशुगणना 2023 के अनुसार देश में 1,93,60,579 बेसहारा गौवं